न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक
(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 39 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 20.10.2021

1–लालचन्द पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी सावंतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2–मानसिंह पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी सावंतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0
3–भगतसिह पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी सावंतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4–नरसिंह पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी सावंतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5–दयालसिंह पुत्र खेमराज जाति मीणा निवासी सावंतगढ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार देवली जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार देवली दिनांक 06.10.2021 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक **28.10.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2021 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 2503 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सावतगढ पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। [illegible] अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.12.02 10:20:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स द्वारा दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत जवाब पर कोई ध्यान नही दिया और बिना जवाब का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब का आर्डर शीट पर कोई उल्लेख नही है। अपीलांट्स ने दिंनाक 25.08.2021 को उपस्थित होने के पश्चात अपना अतिक्रमण स्वंय ही हटा लिया था और इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय नही दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा वांछित रिपोर्ट एक तरफा मे तैयार की गई है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही हैं। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर कब्जा नही है। अपीलांट्स ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र अपील मीमो के साथ प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट्स की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट्स की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2503 मे से रकबा 0.01 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सावतगढ तहसील देवली पर रोडी डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट्स द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2021 के जरिये की गई दोष सिद्धि एवं [illegible] को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित [illegible] जाता है कि तहसीलदार देवली यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलांट्स का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट्स द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.12.02 10:20:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट्स कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार देवली हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर * टोंक *

28/10/21

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.12.02 10:20:37 IST
Reason: SelfAttested